16.04.25 पत्रावली वास्ते डिक्री पेश हुई। उक्त प्र.क. में प्रा०पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जा चुका है। जिसकी डिक्री शामिल किया गया। नंबर से कम हो। डिक्री जारी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

2146
16/04/25

GCMS
2024/438

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 188/2024 (GCMS:- 2024/438) **दायर दिनांक : 19.07.2024**

1. जसविन्द्र कौर पत्नी अरविन्द्र सिंह
2. अरविन्द्र सिंह } पि. अमरजीत सिंह
3. विरेन्द्र सिंह }
4. जसनीत सिंह पुत्र अरविन्द्र सिंह
5. युवराज सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह

} अकवाम जटसिख निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री रामप्रताप तिवाड़ी, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक : 16.04.2025**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण व पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 की खाता सं. 39/68 के खसरा नं. 261 की 2.252 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि व इसी रोही कस्बा तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 41/37 के खसरा नं. 276 की 2.188 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से 1.7504 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिस पर [illegible] काबिज काश्त हैं। उक्त दोनों खसरा नं. 261 व 276 आपस में मिलते हुए हैं, [illegible] पूर्व दिशा में स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:39 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खसरा नं. 260 की आराजीराज भूमि में से एक पुराना स्वीकृतशुदा रास्ता सूरतगढ़ से किशनपुरा गांव की ओर जाता है। इस खसरे में से होकर प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने के लिए रास्ता का अर्सा दराज से उपयोग करते आ रहे हैं। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण ने अपनी जोत के खसरा नं. 261 व 276 में आने–जाने के लिए खसरा नं. 260 की सींव पर लगने वाले स्वीकृतशुदा रास्ता में से होते हुए खसरा नं. 260 में पूर्व से पश्चिम करीब पौना बीघा लम्बाई तथा 0.050 है0 चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले डी.एल.सी. दर से राजकोष में राशि जमा करवाने के लिए सहमत हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से निर्धारित प्रारूप में मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली पेशी में ली गई व अप्रार्थी को जरिये साधारण/पंजीकृत नोटिस तलब किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र अंकित तथ्यों को दोहराया व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ की मौका रिपोर्ट का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि रोही कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 की खाता सं. 39/68 के खसरा नं. 261 की 2.252 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि व इसी रोही कस्बा सूरतगढ़ के खाता सं. 41/37 के खसरा नं. 276 की 2.188 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थीगण के नाम अंकित व कब्जा काश्त की भूमि में आने–जाने के लिए सूरतगढ़ से किशनपुरा पुराने स्वीकृतशुदा रास्ता से प्रार्थीगण के खसरा नं. 261 के पूर्व दिशा में स्थित खसरा नं. 260 की आराजीराज भूमि में से होकर अपनी जोत में काफी समय से आते जाते रहे हैं। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है, इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:39 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नजरी नक्शा की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रार्थीगण ने अपनी जोत के खसरा नं. 261 व 276 में आने–जाने के लिए खसरा नं. 260 की सींव पर लगने वाले स्वीकृतशुदा रास्ता में से होते हुए खसरा नं. 260 में पूर्व से पश्चिम करीब पौना बीघा लम्बाई तथा 0.050 है0 चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी व नक्शा में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले डी.एल.सी. दर से राजकोष में राशि जमा करवाने के लिए तैयार हैं। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

तर्क सुनने के उपरान्त तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने पर पाया जाता है कि वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 की खाता सं. 39/68 के खसरा नं. 261 की 2.252 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि व इसी रोही कस्बा सूरतगढ़ के खाता सं. 41/37 के खसरा नं. 276 की 2.188 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थीगण अपने नाम अंकित व कब्जा काश्त की भूमि में आने–जाने के लिए, इसी रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 260, जो राजस्व रिकॉर्ड में आराजीराज दर्ज है, की सींव पर लगने वाले स्वीकृतशुदा रास्ता में से होते हुए खसरा नं. 260, में पूर्व से पश्चिम करीब पौना बीघा लम्बाई तथा 0.050 है0 चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ की रिपोर्ट के संलग्न रिपोर्ट पटवारी के मुताबिक प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता की बाबत कोई विवाद, स्थगन आदि नहीं है व ना ही कोई मकान/पेड़ आदि हैं। रिपोर्ट के साथ संलग्न आंशिक नजरी नक्शा अनुसार रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 260 की आराजीराज भूमि में से प्रस्तावित रास्ता, इस खसरा के [illegible] स्वीकृतशुदा सूरतगढ़ से किशनपुरा गै.मु.रास्ता से प्रार्थीगण के खसरा नं. [illegible] लगभग 130 फुट लम्बाई व 33 फुट चौड़ाई में प्रस्तावित रास्ता की भूमि [illegible] प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:39 IST
Reason: Self Attested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

रकबा में आने–जाने के लिए आवश्यकता हेतु रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है, और काश्तकार को सुगम रास्ता उपलब्ध हो सके, इसका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है एवं अप्रार्थी राज्य सरकार द्वारा भी प्रस्तावित रास्ता की बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 260 की आराजीराज भूमि में से, इस खसरा के पूर्व दिशा में सींव पर लगने वाले स्वीकृतशुदा सूरतगढ़ से किशनपुरा गै.मु.रास्ता से प्रार्थीगण के खसरा नं. 261 तक 0.040 है0 (लगभग 130 फुट लम्बाई व 33 फुट चौड़ाई में) रास्ता स्वीकृत किया जाता है व तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि के बदले प्रार्थीगण जसविन्द्र कौर पत्नी अरविन्द्र सिंह, अरविन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह पुत्रगण अमरजीत सिंह, जसनीत सिंह पुत्र अरविन्द्र सिंह व युवराज सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह अकवाम जटसिख निवासीयान सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर से डी.एल.सी. दर से दोगुणी राशि राजकीय कोष में जमा करवाये जाने के पश्चात् स्वीकृतशुदा रास्ता की भूमि राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी में रकबाराज खाता से कलमजन कर रास्ता के खाते में एवं नक्शा में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेशों की पालनार्थ तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को पत्र जारी कर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 16.04.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.04.16 19:21:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़